अवसर नहीं दिया जायेगा। वकील वादी आगामी सुनवाई दिनांक पर आवश्यक रूप से अदालत पेश करे। आगामी नियत दिनांक पर अदालत पेश नहीं करने पर अदालत बंद कर दी जायेगी। पत्रावली वास्ते अदालत दिनांक 21.10.19. को पेश हो।

सही

21.10.19.

पत्रावली पेश, हुई उपस्थित अधिवक्ता/अन्य आये P.O. साहब राजकीय भ्रमण/ से अगले सेट से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा दी गई पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 27.11.19. को पेश हो।

(न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़)

27.11.19 पत्रावली पेश हुई वकील वादी दो तीन बार रुक-रुक कर ऊंची आवाजे लगवाई लेकिन उपस्थित नहीं हुए, अतः प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सही

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द